

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24102020-222734
SG-DL-E-24102020-222734

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	दिल्ली, , शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2020/कार्तिक 1, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 180
No. 232]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/KARTIKA 1, 1942	[N. C. T. D. No. 180

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

सं. 29/2019-राज्य कर (दर)

दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

सं.फा. 3(13)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/130—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30/06/2017, जिसे सं.फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/379 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, कम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को ऐसे किसीमोटर वाहन को किराए पर देकर दी जाने वाली सेवा जिसे यात्रियों को लाने ले जाने के लिए तैयार किया गया हो और जहां ईंधन का खर्च भी सेवा के प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले प्रतिफल में शामिल हो ।	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो कि किसी बॉडी कारपोरेट को सेवा की आपूर्ति करता हो और सेवा के प्राप्तकर्ता से 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर वसूल करने वाली इनवायस जारी न करता हो ।	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित हो ।"

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-I में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 12 दिसम्बर, 2019, सं.फा. 3(90)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/617 दिनांक 12, दिसम्बर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

No 29/2019- State Tax (Rate)

Delhi, the 23rd October, 2020

F. No. 3 (13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/130.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient, provided to a body corporate.	Any person, other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging state tax at the rate of 6 percent. to the service recipient.	Any body corporate located in the taxable territory."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of December, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MONOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: - The principal notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2019 - State Tax (Rate), dated the 12th December, 2019 vide No. F.3 (90)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/617, dated the 12th December, 2019.